



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव एम. जोधपुर

JM

अनुक्रमांक-16/195

डी डिप्लोमर कुमार पुत्र डी प्रमनराव
प्लानिंग सं. 487-डी-2, प्रमोटेक
जोधपुर, जोधपुर।

दिनांक-29/12/2020
I.B.T.(B) 68 / 2020-21

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय - अत्यासीय भवन निर्माण प्रोजेक्ट/स्वीकृति हेतु।
प्रमाण - आपका आदेशन पत्र दिनांक 17.08.2020।

उपरोक्त विषयान्वयित एवं प्रसारित गठित भवन निर्माण अनुज्ञा समिति की बैठक दिनांक 12.10.2020 के प्रस्ताव संख्या 12 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार अत्यासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

स्वीकृति का प्रकार	आवाराय निर्माण
अनुमति निर्माण	पर
कुल क्षेत्रफल	312.50 वर्गगज

1. बालकनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगे।
2. पड़ोसी की डिस्टिन्ग लाईन को ध्यान रखेंगे।
3. मानचित्र एवं प्लेट में चिह्नित चतुर्भुजी दरवाजी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
4. छतला नुति पर किसी प्रकार की तानीर का निर्माण नहीं करेंगे।
5. स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
6. छप्पे जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
7. भूमिगत में बरतना राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेंगे।
8. भवन में नियन्त्रित अग्नि शान्त सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी।
9. दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृति शून्य करनी जायेगी।
10. भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।

11. निर्माण स्थल पर 4x4 के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण सावधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुसार निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मतलब अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सडक पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मतलब/बिल्डिंग मेटेरियल नू-स्वामी द्वारा सडक पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत तुलनाई का अक्षर देने के परवाना पत्रिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13. भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के बूडपड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक सौवाल्य का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा सौवाल्य की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक सौवाल्य निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगभग 10 श्रमिक पर एक सौवाल्य का निर्माण नहीं किया जाता है।

14. यह निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

15. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित वाद गुलाब जोधारी इनम राज्य सरकार के निर्माणधीन रहेगा तथा वर्तमान-भूमिगत में मास्टर प्लान के अनुसार नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेंगे।

16. भूदान के अंगे की तरफ 15 खुली जगह एवं शीष भाग पर कवर्ड पार्किंग है।
यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- एवं शुल्क- 2,613/- कुल राशि- 3,613/- जरिये रसीद संख्या 9069/2410 दिनांक 21.08.2020. भवन निर्माण शुल्क- 25,996/- डी.एस.यू.टी. शुल्क- 5,199/- विगत एवं स्थायी शुल्क- 12,500/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 7,799/- मतलब शुल्क- 1,000/- उपहार- 64,099/- कुल राशि- 1,16,593/- जरिये रसीद संख्या 9069/3422 दिनांक 27.11.2020 शुल्क व अम्बन्त राशि- 3,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/3423 दिनांक 27.11.2020. यूटी कर- 89,016/- जरिये रसीद संख्या 9069/3428 दिनांक 27.11.2020 एवं गृह कर- 4,542/- जरिये रसीद संख्या 9069/3429 दिनांक 27.11.2020 को निगम कोष में जमा करा दिवे गये है. साथ ही अगली आदेशित किया जाता है कि दी गई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध एलकान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्रवाई की जायेगी। भवन निर्माण के परवाना मतलब सडक पर गया तथा तो दुर्भाग के रूप में 10,000/- (अक्षर दस हजार रुपये) कागद किये जायेंगे।

Saravalli
gajatro
0913247650

नगर निगम जोधपुर, डी.एस.यू.टी.